

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या.....5121/22

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या.....2296/22

चूंकि श्री.....MANISH DAS (Advocate)..... द्वारा Axis Bank..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उसरो सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

01/01/2008

से ता0..... to Till Date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसका बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यै यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवगारों का पता नहीं चलता है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री मनीष दास अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी

सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Pardih,**
Thana- **Mango,** Thana No- **84WAAC,**
Khata No- **NCW-706,**
Plot No- **NCW-332/4311**

Area- **14.82 decimals,**

जमीन

में कोई अवगार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

[Handwritten Signature]
24/9/22

हस्ताक्षर -

पदनाम -
अधीक्षक

तलाशी का सत्यापन ऋणमार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर -

[Handwritten Signature]
पदनाम -

कार्यालय -



[Handwritten Signature]
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
24/9/22
जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवगार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जैशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की प्रांत 67 के अधीन जो व्यक्ति बाहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवगारों के प्रमाण पत्रों की अन्वेषण हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बाहियों और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने घर तक सत्यापनी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी पारेणाम को किसी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवगारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवगारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आधार पड़ता हो।